

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(28)ग्रावि/नरेगा/राज.उच्च.न्या./2012-13

जयपुर, दिनांक :- 3 4 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषय:- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/11 सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबन्ध में जारी निर्देशों की पालना रिपोर्ट के संबन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4(9)पंरावि/पी.सी./वर्षा जल संरक्षण/2011-12 दिनांक 30.07.2012

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत के संदर्भ में प्रासांगिक पत्र के द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये :-

- नाले (बहाव क्षेत्र) की अधिकतम गहराई के स्तर से 2 मीटर से अधिक ऊँचाई के एनिकट/अन्य किसी प्रकार के जल संरक्षण/संचयन स्ट्रक्चर्स की पहचान की जावे एवं 2 मीटर से अधिक की ऊँचाई को नष्ट किया जावे।
- विभाग की महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित किसी भी योजना में बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण इस प्रकार ही किया जावे कि निर्माण के कारण बहाव क्षेत्र में पानी के अविरल बहाव में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो।
- जल संसाधन विभाग द्वारा प्रथम चरण में चिन्हित किये गये 25 बडे/मुख्य जल निकायों (प्रति संलग्न) में आ रहे विभाग से संबन्धित ऐसे समस्त अतिक्रमण जिसके कारण बहाव क्षेत्र में अविरल जल बहाव में बाधा उत्पन्न हो रही है, को हटाया जावे साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण ना हो।
- विभाग द्वारा बहाव क्षेत्र में कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ भू आवंटन/भू-संपरिवर्तन नहीं किया जावे एवं ना ही कोई आवासीय कॉलोनी विकसित की जावे।

विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशों की पालना की सूचना दिनांक 19.05.2014 तक विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे तथा भविष्य में भी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।


(श्रीमत् पाण्डे)
प्रमुख शासन सचिव
14/5

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, WATER RESOURCES DEPARTMENT,
RAJASTHAN, JAIPUR

UR/2012-8

No. CEWR/SE(W)/11153/2011/Ramgarh/2187-93

Dated. 11.7.12

1. Addl. Chief Secretary, Forest & Environment .
- ✓2. Addl. Chief Secretary ,PR & RD.
- ✓3. Principal Secretary, UDH & LSG .
- ✓4. Principal Secretary, Industries .
- ✓5. Principal Secretary, Revenue .
- ✓6. Principal Secretary, PWD.
- ✓7. Secretary, Mines.

D. No. 7168 ACS/RD & PR/2011
Date 13-7-12

क्रमांक शा.स./पं.राज/.....7164
दिनांक.....13/7/12

Sub.: Regarding the list of 25 Major/Important Water Bodies to be taken up in the First Phase for compliance of Rajasthan High Court decision in the SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan & others.

Sir,

Kindly find enclosed here with list of 25 Major/Important Water Bodies to be taken up in the First Phase. as discussed in the meeting held on 10.07.2012 under the chairmanship of Chief Secretary, GoR, for compliance of Rajasthan High Court decision in the SB Civil Writ Petition No. 11153/2011 Suo Moto vs. State of Rajasthan & others.

You are also requested to kindly send Initial Action Plan immediately so as to submit the compliance report to Hon'ble High Court.

Encloses :- As above

Yours faithfully,

[Signature]

Chief Nodal Officer &
Chief Engineer,
Water Resources Department
Rajasthan, Jaipur.

Secy. PR

13/7

13/7/12

13/7/12

PKS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

244
12/7/12

252

List of 25 Major/ Important Water Bodies to be taken up in the First Phase .

S.No.	Name of Project	District
1	Ana Sagar	Ajmer
2	Mahi Project	Banswara
3	Sikari	Bharatpur
4	Meja	Bhilwara
5	Soor Sagar	Bikaner
6	J.S.Dam	Bundi
7	Gudha	Bundi
8	RPS Dam	Chittorgarh
9	Ghosunda	Chittorgarh
10	Morel	Dausa
11	Parbati	Dholpur
12	Som Kamla amba	Dungarpur
13	Chapperwada	Jaipur
14	Ramgarh	Jaipur
15	Kalakh	Jaipur
16	Harish Chandra Sagar	Jhalawar
17	Kota Barrage	Kota
18	Jawai	Pali
19	Sardar Samand	Pali
20	Jakham	Pratapgarh
21	RajSamand	Rajsamand
22	Bisalpur	Tonk
23	Galwa	Tonk
24	Jaisamand	Udaipur
25	UdaiSagar	Udaipur